>

Title: Need to introduce Lok Pal Bill expeditiously to counter the growing menace of corruption in the Country.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, देश में भ्रष्टाचार एक कैंसर की तरह व्याप्त हो रहा है। कार्यपालिका हो, विधायिका हो अथवा न्यायपालिका हो, समाज का कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में, सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि हमारे यहां केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सैंट्रल विजिलेंस कमीशन), सीबीआई, पब्लिक ग्रीवैंसेज एंड पेंशन विभाग, आईपीसी और न्यायालय आदि विभिन्न एजेंसियां और प्राधिकरण हैं, परन्तु वे आंशिक क्षेत्र में अथवा किसी विभाग या मंत्रालय के अधीन हैं, जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में असमर्थ रहे हैं, प्रभावी सिद्ध नहीं हुए हैं।

देश में एक ऐसे निकाय की आवश्यकता है, जो उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सके। यह निकाय सस्ता हो, प्रभावी हो और जिसमें मंत्री, उपमंत्री, राज्य मंत्री प्रधान मंत्री का कार्यालय, सांसद, अधिकारी, न्यायाधीश अथवा बड़े से बड़े अधिकारी हों, साधारण और स्वतंत्र हो, तेज गति से कार्य करने वाली भी हो और न्याय देने की पूरी योग्यता रखती हो।[MSOffice78]

19.00 hrs.

उसकी खुद की अन्वेषण एजेंसी हो। अन्य विकसित देशों की तरह हमारे देश में भी लोकपाल की नियुक्ति की बात सोची गयी थी। इसके लिए वर्ष 1969 में पहली बार लोकसभा में बिल लाया गया और बिल लोकसभा में बहस के साथ पारित भी हो गया, लेकिन आज 39 साल हो गए, आठ बार यह बिल पार्लियामेंट में पेश हो गया, लेकिन वह लोकसभा में ऐसे समय पेश होता था, जब लोकसभा भंग होने वाली हो या कभी वह लोकसभा से पारित होने के बाद राज्य सभा में पारित नहीं हो पाता था। कभी इधर पारित हो गया तो उधर रह गया।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, चाहे मंत्री हो या अन्य बड़े अधिकारी, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका, सभी को इसकी सीमा में लाना चाहिए। इसके लिए लोकपाल बिल शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जाए, उसे पारित कराया जाए और लोकपाल की नियुक्ति करके उसे कार्यान्वित किया जाए तभी हमारा सार्वजनिक जीवन पवित्र हो सकेगा। आजकल रोज कभी किसी का नाम, कभी किसी अन्य का नाम लिया जाता है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए लोकपाल बिल को शीघ्र संसद से पारित कराया जाना चाहिए। हम सभी सांसद और मंत्री इस पर सोचें, आत्मालोचन करें, आत्मनिरीक्षण करें कि इसमें डिले के लिए कौन जिम्मेदार है।